कार्य बाधित कार्रवाई समाप्त मार्टीन भेंगरा बनाम मनोज कुमार सिंह

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

वाद संख्या M- 102 / 2018–19

धारा –107 द0प्र0सं0

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख संहित
11.07.18	थाना प्रभारी तोरपा के अप्राथमिकी संख्या 05/18 दिनांक 05.07.2018 द्वारा धारा 107 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु दायर किया गया। प्रथम पक्ष श्रीमती मार्टीन भेंगरा पति स्व0 पीटर भेंगरा ग्राम पंडरा पोखरटोली, पोस्ट अंगराबारी, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने द्वितीय पक्ष मनोज कुमार सिंह,पिता स्व0 नन्दकिशोर सिंह, ग्राम झरिया, थाना झरिया, जिला धनबाद, के द्वारा खाता संख्या 06 प्लॉट संख्या 31 रकवा 0.36 डी0 जमीन पर विवाद कर रहे है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायगी। अतः मैं **प्रणव कुमार पॉल** अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0प्र0सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरूद्व नोटिस निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध–पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश दिया जाय। दिनांक 18.07.18 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 11.7.18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।	70 11/07/18

02

01/19 प्रथम पक्ष उपस्थित। दिनांक 28/01/19 को रखें।

28/1/19 ~~प्रथम पक्ष उपस्थित~~। समयावधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

K
28.01.19